दिनांक 24.01.2018 को अपराह्न 12:30 बजे अपर सचिव–सह–अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति–

1. श्री के० सेंथिल कुमार	– अपर सचिव	– अध्यक्ष
2. श्री सुजीत कुमार राय	– संयुक्त श्रमायुक्त	– सदस्य
3. श्री विवेक कुमार	– संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण	– सदस्य
4. श्री अजीत कुमार सिन्हा	– सहायक निदेशक, नियोजन	– सदस्य
5. डा० (श्रीमति) तृप्ति चौधरी	– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें	
6. डा० विनायक पदमाकर	– प्रशाखा पदाधिकारी, 01 एवं 03 (सरकार पक्ष)	
7. श्री देवेश कुमार	– श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (सरकार पक्ष)	

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :–

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है–

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, कटिहार	**अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक–136दिनांक–23.01.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं0–125/2009–10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से0नि0) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू0 1,18,981/– है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है। प्राचार्य, औ0प्र0 संस्थान, कटिहार के पत्रांक–493 दिनांक–20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ0प्र0 संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र मामले का निष्पादन करवाकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

2. श्री अशोक कुमार राम, मुख्य अनुदेशक, औ0 प्र0 संस्थान, दीघाघाट, पटना 3. श्री स्नेही लाल बैठा, मुख्य अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण 4. श्री शिव महतो, मुख्य अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण 5. श्री अशोक कुमार, मुख्य अनुदेशक, औ०प्र० संस्थान, अरवल	**मुख्य अनुदेशक से सहायक अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं उपस्थित संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण द्वारा बताया गया कि इन आवेदकों से प्रोन्नति के संबंध में अभ्यावेदन अभी प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि प्रोन्नति के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मामले का शीघ्र निष्पादन कराया जाए एवं समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।
6. श्री प्रेम चन्द कुमार सिन्हा, महासचिव, बिहार राज्य औ०प्र० संस्थान कर्मचारी संघ, दीघा, पटना–11	**राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सहायक अधीक्षक के पद को बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि उप प्राचार्य के पद में अभी तक आमेलित नहीं किए जाने के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं उपस्थित संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण द्वारा बताया गया कि आवेदक का अभ्यावेदन अभी प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि यह मामला नियमानुसार विचारणीय है अथवा नहीं, इस संबंध में शीघ्र निर्णय कर मामले का निष्पादन कराया जाए एवं कृत कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।
7. श्री राजीव कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण	**वित्त विभाग के पत्रांक–8966 दिनांक 28.08.2012 के आलोक में झारखण्ड राज्य से अन्तिम रूप से बिहार में योगदान करनके के फलस्वरूप दिनांक 01.07.2006 से 31.03.2007 तक झारखण्ड राज्य का पुनरीक्षित बकाये वेतन का भूगतान के संबंध में–** प्रशिक्षण पक्ष द्वारा प्रतिवेदित किया गया एवं उपस्थित संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण द्वारा बताया गया कि आवेदक का अभ्यावेदन अभी प्राप्त हुआ है। इस मामले को परामर्श हेतु वित्त विभाग भेजा जा रहा है। संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदित किया जाए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

1.डॉ0 एस0 एस0 मुजफ्फरुद्दीन बलखी 2. डॉ0 उषा पाण्डेय	**कर्मचारी राज्य बीमा योजना के आयुष, यूनानी बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने के संबंध में।** उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली से संबंधित विभागीय संचिका सं0–1/ श्रम वि.ई. 8–80–01/2015 सरकार पक्ष, प्रशाखा–1 को पृष्ठांकित है। बैठक में उपस्थित प्रशाखा पदाधिकारी, सरकार पक्ष द्वारा बताया गया कि नियमावली से संबंधित उक्त संचिका मंतव्य हेतु पुनः निदेशालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भेजी गयी है। संचिका के संबंध में सरकार पक्ष को कोई सूचना प्राप्त नहीं है। उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें को निदेश दिया गया कि शीघ्र संचिका की सही स्थिति का पता कर आवश्यक कार्रवाई की जाए एवं नियमावली को अधिसूचित करवाकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।

25/1/18	25/1/18	25/1	25/1/18
(अजीत कुमार सिन्हा)	**(विवेक कुमार)**	**(सुजीत कुमार राय)**	**(के०सेंथिल कुमार)**
सहायक निदेशक, नियोजन	संयुक्त निदेशक,प्रशिक्षण	संयुक्त श्रमायुक्त	अपर सचिव,
सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष.

ज्ञापांक:–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2018 श्र0 सं0 232 **पटना, दिनांक** 25/01/2018

प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/ निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्म0रा0बीमा योजना/संयुक्त श्रमायुक्त–01/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

25/1/18

अपर सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांक:–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2018 श्र0 सं0 232 **पटना, दिनांक** 25/01/2018

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ प्रशाखा पदाधिकारी–01 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव सह अध्यक्ष

ज्ञापांक:–3/श्रम विधि (शि0नि0)–01/2018 श्र0 सं0 232 **पटना, दिनांक** 25/01/2018

प्रतिलिपिः– सचिव विधि विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

25/1/18

अपर सचिव सह अध्यक्ष

proceeding of GRC new doc.473

आई0टी0 मैनेजर